


फर्द अहकाम

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी मावली, उदयपुर

प्रार्थी _____ विपक्षी _____
 किस्म मुकदमा _____ पत्रावली संख्या _____

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर एवं सूचनाएं
21211	<p>गणेश प्रसाद जिसमें न्यायालय द्वारा डिफेंडेंस जारी कर दी थी। परन्तु परिसकी अपील अपीलार्थ न्यायालय में विचारधीन है परन्तु उसके परन्तु पुनः भए वाद प्रस्तुत किया गया है। जो देखा कि जो के सिद्धांत के न हए देखा कि जो भोग है। न्यायालय का विनम्र आग्रह है कि एक ही वाद प्रस्तुत आराजीभा के दो लालवाड़े प्रथम-प्रथम नही चल सकते हैं पूर्व में प्रस्तुत वाद में डिफेंडेंस जारी की चुकी है। जिसकी अपील अपीलार्थ न्यायालय में विचारधीन है इसके में इस वाद को आगे चलाने का कोई औचित्य नही है। अतः वाद वादी दलील स्तर पर खारिज किया जाता है। पत्रावली क्रमांक 20/1/25 नम्बर से कम है। निर्णय सारे इजलास सुनाने।</p>	
	<p>20/1/25</p> <p>उपखण्ड अधिकारी (300) मावली</p>	